रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 251] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 1970/आषाढ़ 24, 1892

No. 251] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 1970/ASADHA 24, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप म रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 15th July 1970

S.O. 2439.—In exercise of the powers conferred by Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and in partial modification of the notified Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 143, dated the 9th January, 1967 (as subsequently modified), the Central Government hereby authorises, with effect from the 13th July, 1970, Shri H. S. Ramani to take over the management of the whole of the Mahalaxmi Mills Company Ltd., Beawar, *vice* Shri Suraj Mathur.

[No. F. 7(47)/70-Tex.(G).]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 15 जुलाई 1970

का० आ० 2439.—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य

मंत्रालय के अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 143 दिनांक 9 जनवरी, 1967 (यथा तत्पश्चात संशोधित) का आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एच० एस० रमानी को श्री सूरज राज माथुर के स्थान पर 13 जुलाई, 1970 से संपूर्ण महालक्ष्मी मिल्स कम्पनी लि०, ब्यावर, का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने के लिए उन्हें एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है ।

[सं० फा० 7 (47)/70-टैक्स (जी०).]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970